भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3070

दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

बोको में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का प्रदूषण

3070. श्री गौरव गोगोईः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल की रिपोर्टों में यथाप्रकाशित असम के बोको में ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी को प्रभावित कर रहे गंभीर प्रदूषण के बारे में पता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रभावित जल निकाय में प्रदूषण के स्रोतों और विस्तार-क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव संबंधी आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा असम की नदियों और सहायक नदियों और विशेषकर बोको में जल प्रदूषण को दूर करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के अंतर्गत क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं;

(घ) क्या असम में प्रदूषित जल निकायों की सफाई और पुनर्स्थापन के लिए विशेष रूप से कोई निधि आवंटित की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) असम में नदियों में औद्योगिक, घरेलू और कृषि अपशिष्ट डाले जाने से रोकने के लिए पर्यावरण नियमों के प्रवर्तन को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है कि ऐसी किसी भी रिपोर्ट के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है और इसने असम में ब्रह्मपुत्र के बोको में सहायक नदी को प्रभावित करने वाले गंभीर प्रदूषण के संबंध में कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया है। देश में नदियों के प्रदूषण आकलन पर नवंबर, 2022 में प्रकाशित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, असम राज्य में प्रदूषित नदी खंडों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	नदी	प्रदूषित नदी खंड/स्थान	अधिकतम पाया गया बीओडी(मिलीग्राम/ली)	प्राथमिकता वर्ग
1	बेगा	मंगलदोई के किनारे	3.9	V
2	भरलू	उलुबारी के किनारे	76.0	I
3	बुरहिदिहिंग	मार्गेरिटा के किनारे	3.6	V

4	धनसिरी	बोकाजन और नुमालीगढ़ के किनारे	3.5	V
5	डिगबोई	आईओसीएल ऑयल टाउन से लखीपाथर रिजर्व फॉरेस्ट तक	5.2	V
6	खरसांग	खरसांग के किनारे	3.3	V
7	कुलसी	चायगांव के किनारे	3.2	V
8	मोरा भराली	मोरा भराली के किनारे	3.6	V
9	पग्लिडया	नलबाड़ी शहर के किनारे	3.4	V
10	टोकलाई	कुमार कैबर्टा गांव के किनारे	4.8	V

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत एक जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित किया है। वर्तमान में, देश भर में 4736 स्थानों पर जल गुणवत्ता निगरानी की जा रही है, जिसमें 645 नदियों के 2155 स्थान शामिल हैं। असम में, 73 नदियों के 112 स्थानों सहित 239 स्थानों पर जल गुणवत्ता की निगरानी की जाती है, जिनमें से बोको में ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी कुलसी की निगरानी असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दो स्थानों, अर्थात् एनएच 37 क्रॉसिंग के पास चायगांव में और कुकुरमारा में की जाती है।

सीपीसीबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2024 के दौरान इन दो स्थानों पर निगरानी किए गए कुलसी नदी के जल गुणवत्ता डेटा से संकेत मिलता है कि कुलसी नदी पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2000 के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आउटडोर स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन कर रही है।

(ग): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों का यह मुख्य दायित्व है कि वे घरेलू अपशिष्ट जल और औद्योगिक अपशिष्टों को प्राप्तकर्ता जल निकायों या भूमि में छोड़ने से पहले, उनमें प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें। गंगा बेसिन को छोड़कर देश में नदियों/सहायक नदियों के संरक्षण के लिए, यह मंत्रालय लागत साझाकरण के आधार पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के कार्यान्वयन के माध्यम से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित कर रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत, नदियों, आर्द्रभूमियों और तालाबों जैसे प्राकृतिक जल निकायों में अनुपचारित जल निकासी के प्रवाह के कारण होने वाले जल प्रदूषण को कम करने के लिए, बोको और ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियों में निर्मित आर्द्रभूमि दृष्टिकोण पर आधारित एक एंड-ऑफ-ड्रेनेज ट्रीटमेंट सिस्टम लागू किया गया है ताकि जल प्रदूषण की बढ़ती समस्या का समाधान किया जा सके। इसके अलावा, बोको ब्लॉक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस मॉडल है और सभी 138 गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(घ): एनआरसीपी के अंतर्गत प्रदूषित नदी क्षेत्रों के किनारे चिन्हित कस्बों में प्रदूषण निवारण कार्यों के लिए समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। प्रस्तावों को उनकी प्राथमिकता, एनआरसीपी दिशानिर्देशों के साथ अनुरूपता, योजना निधि की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। असम सरकार से एनआरसीपी के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, असम सरकार का सिलसाको बील जलाशय, गुवाहाटी पुनरुद्धार और जैव-उपचार नामक एक प्रस्ताव, जिसकी अनुमानित लागत 237 करोड़ रुपए है, को हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 में 213.30 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी (आरआरआर) के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(ङ): नदियों की सफाई/पुनरुद्धार एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। नदियों में औद्योगिक अपशिष्टों के प्रवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट उत्सर्जन मानकों की अधिसूचना जारी करना, उद्योगों के वर्गीकरण के मानदंडों में संशोधन करना और सभी एसपीसीबी/पीसीसी को उन्हें अपनाने के निर्देश जारी करना, एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा स्थापना/संचालन हेतु सहमति जारी करना, निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन सत्यापन हेतु अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) का नियमित और औचक निरीक्षण करना, अपशिष्ट की गुणवत्ता और अनुपालन स्थिति के आकलन के लिए ऑनलाइन सतत अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना शामिल है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुसार, औद्योगिक इकाइयों को अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (ईटीपी) स्थापित करने और नदियों एवं जल निकायों में अपशिष्ट जल प्रवाहित करने से पहले निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप उसका उपचार करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, सीपीसीबी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ (पीसीसी) अपशिष्ट जल निर्वहन मानकों के संबंध में उद्योगों की निगरानी करती हैं और इन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत अनुपालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई करती हैं।

इसके अलावा, देश में प्रदूषित नदी खंडों के संबंध में मूल आवेदन संख्या 673/2018 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में उक्त नदी खंडों की बहाली हेतु निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य योजनाओं को लागू करना आवश्यक है। इस संबंध में प्रगति की समीक्षा, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ की जाती है।

******